सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

20 वैशाख, 1938 (श०)

संख्या 481 राँची, मंगलवार,

10 मई**, 2016** (ई०)

कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग

संकल्प

29 अप्रैल, 2016

1. मुख्यमंत्री के आप्त सचिव, झारखण्ड, राँची का अ०स० पत्र संख्या- 007/एन०/मु०मं०स०, दिनांक 31 दिसम्बर, 2010
2. कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड का पत्रांक-1141, दिनांक 4 मार्च, 2011, पत्रांक-3632, दिनांक 4 जुलाई, 2011, पत्रांक-3957, दिनांक 14 जुलाई, 2011, संकल्प संख्या-4568, दिनांक- 5 अगस्त, 2011, संकल्प संख्या-8260, दिनांक 22 दिसम्बर, 2011, पत्रांक-3564, दिनांक 27अप्रैल, 2013 एवं पत्रांक-3338, दिनांक 13 अप्रैल, 2015
3. विभागीय जाँच पदाधिकारी-सह-संचालन पदाधिकारी का पत्रांक-96, दिनांक 9 मार्च, 2013
4. झारखण्ड लोक सेवा आयोग, राँची के पत्रांक-214, दिनांक 21 जनवरी, 2016

संख्या- 5/आरोप-1-544/2014 का०-3476--श्री रविन्द्र नाथ महंथी, सेवानिवृत्त झा०प्र०से० (कोटि क्रमांक-219/03, गृह राज्य-प० बंगाल), तत्कालीन प्रबंध निदेशक, आयडा, आदित्यपुर, जमशेदपुर के विरूद्ध मुख्यमंत्री के आप्त सचिव, झारखण्ड, राँची के अ०स० पत्र संख्या-730/007/एन०/मु०मं०स०, दिनांक 31 दिसम्बर, 2010 के माध्यम से परिवादी श्री सत्यप्रकाश, सचिव, जन कल्याण मोर्चा, रोड नं0-31, रायडीह, आदित्यपुर-2, जमशेदपुर का परिवाद पत्र प्राप्त है। इसके आलोक में विभागीय पत्रांक-1141, दिनांक 4 मार्च, 2011 द्वारा उपायुक्त, पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर-सह-एम०डी०, आयडा से मंतव्य सहित जाँच-प्रतिवेदन की माँग की गई। उपायुक्त, पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर से वांछित प्रतिवेदन अप्राप्त रहने के कारण श्री महंथी के विरूद्ध विभाग स्तर पर प्रपत्र-'क' का गठन किया गया, जिसमें इनके विरूद्ध निम्नवत् आरोप प्रतिवेदित है:-

<u>आरोप-</u> श्री रवीन्द्र नाथ मोहंती, तत्कालीन प्रबन्ध निदेशक, आयडा, आदित्यपुर, जमशेदपुर द्वारा व्यक्तिगत लाभ के लिए आयडा बोर्ड के निर्णय के विपरीत जाकर कम राशि में आयडा की भूमि को बन्दोबस्त किया गया है, जिससे आयडा को राजस्व की भारी क्षति उठानी पड़ी है। श्री मोहंती का यह कृत्य सरकारी सेवक आचार नियमावली के प्रतिकूल है।

(1) श्री रवीन्द्र नाथ महंथी, तत्कालीन प्रबन्ध निदेशक, आयडा, आदित्यपुर, जमशेदपुर द्वारा मेसर्स शार्दुल ऑटो वक्स प्राई0 लिमिटेड को 5,96,566/- रू० प्रति एकड़ की दर से कुल 29,82,830/- रू० के एवज में 05 एकड़ भूमि आदेश सं0-1413/ADA, दिनांक 30 सितम्बर, 2010 द्वारा आवंटित किया गया है।

(2) इसी क्षेत्र में मेसर्स आधुनिक पावर तथा नेचुरल रिर्सोसेज लिमिटेड (APNRL) द्वारा 50 एकड़ भूमि के लिए 15 करोड़ रूपये का भुगतान किया जा रहा है। इस प्रकार दर 30 लाख रूपये प्रति एकड़ होता है, परन्तु आयडा द्वारा उक्त भूमि को 05 करोड़ रूपये में दिया गया, जो प्रति एकड़ मात्र दस लाख रूपये हुआ।

(3) सस्ते दर के कारण कंपनियों द्वारा आवश्यकता से अधिक भूमि का अधिग्रहण किया जा रहा है। इस मामले में भी वर्तमान आवंटी की आवश्यकता स्पष्ट नहीं है।

(4) एक ही प्लॉट के लिए बहुत से आवेदक थे एवं एक आवेदक द्वारा 50 लाख रूपये मात्र न्यूनतम गारंटी दिया जा रहा था, परन्तु 30 लाख रूपये मात्र में भूमि को बन्दोबस्त किया गया।

(5) 26.05.10 को आयडा के बोर्ड मिटिंग में यह निर्णय लिया जा चुका था कि प्लॉट देने से पूर्व एक से अधिक आवेदक के मामले में निविदा की जायेगी। इस प्रकार प्लॉट की बन्दोबस्ती की प्रक्रिया पारदर्शी होगी तथा आयडा को राजस्व की भी प्राप्ति होती, परन्तु इसका अनुपालन नहीं किया गया।

उक्त आरोपों हेतु विभागीय पत्रांक-3632, दिनांक 04 जुलाई, 2011 एवं स्मार पत्रांक-3957, दिनांक 14 जुलाई, 2011 द्वारा श्री महंथी से स्पष्टीकरण की माँग की गयी, परंतु इनके द्वारा स्पष्टीकरण समर्पित नहीं किया गया। अतः विभागीय संकल्प संख्या-4568, दिनांक-5 अगस्त, 2011 द्वारा श्री महंथी के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी, जिसमें श्री सतेन्द्र सिंह, भा०प्र०से०, प्रमंडलीय आयुक्त, दक्षिणी छोटानागपुर प्रमंडल, राँची को संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया गया। तत्पश्चात्, विभागीय संकल्प संख्या-8260, दिनांक 22 दिसम्बर, 2011 द्वारा श्री सिंह के स्थान पर श्री अशोक कुमार सिन्हा, सेवानिवृत्त भा०प्र०से०, विभागीय जाँच पदाधिकारी, झारखण्ड को संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया गया।

विभागीय जाँच पदाधिकारी-सह-संचालन पदाधिकारी के पत्रांक-96, दिनांक-9 मार्च, 2013 द्वारा विभागीय कार्यवाही का जाँच-प्रतिवेदन उपलब्ध कराया गया, जिसमें श्री महंथी के विरूद्ध लगाए गए सभी आरोपों को प्रमाणित प्रतिवेदित किये गये हैं।

श्री महंथी के विरूद्ध आरोप, इनके बचाव-बयान एवं संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जाँच-प्रतिवेदन की समीक्षा की गई। समीक्षोपरान्त, जाँच पदाधिकारी के जाँच प्रतिवेदन से सहमत होते हुए इनके विरूद्ध आरोपों को प्रमाणित पाया गया। प्रमाणित आरोपों के लिए इनके पेंशन से 40 प्रतिशत राशि की कटौती पेंशन प्राप्त करने की पूर्ण अवधि के लिए करने का दण्ड प्रस्तावित किया गया, जिसके लिए विभागीय पत्रांक-3564, दिनांक 27 अप्रैल, 2013 द्वारा इनसे पेंशन प्रपत्र में अंकित स्थायी पते पर द्वितीय कारण पृच्छा की गई, परंतु पत्र का तामिला नहीं हुआ। अतः इनके ब्लू बुक में अंकित पते पर उक्त पत्र को विभागीय पत्रांक-10105, दिनांक-21अक्टूबर, 2013 द्वारा भेजा गया, परंतु इसका भी तामिला नहीं हुआ। अंततः विभागीय पत्रांक-1214, दिनांक-10 फरवरी, 2014 द्वारा उक्त पत्र को इनके पेंशन-प्रपत्र में अंकित स्थानीय पते पर भेजा गया, जिसके उत्तर में इनके द्वारा संचालन पदाधिकारी के जाँच-प्रतिवेदन की माँग की गयी। विभागीय पत्रांक-3155, दिनांक-31मार्च, 2014 द्वारा इन्हें याचित अभिलेख उपलब्ध कराते हुए द्वितीय कारण पृच्छा की गयी। परंतु इनका उत्तर अप्राप्त रहा। फलस्वरूप विभागीय प्रधान सचिव के अर्द्ध सरकारी पत्र सं0-6927, दिनांक 07 जुलाई, 2014 द्वारा आरोपी पदाधिकारी को अंतिम रूप से स्मारित किया गया। श्री महंथी के पत्र, दिनांक-01 जुलाई, 2014 द्वारा प्रमाणित आरोपों के संदर्भ में द्वितीय कारण पृच्छा का जवाब समर्पित किया गया है, जिसमें दिये गये निम्नांकित तथ्य दिये गये हैं-

(क) इनके द्वारा दिनांक 14 अगस्त, 2012 को अपने पक्ष का बचाव करने हेतु समर्पित पत्र में आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार के द्वारा निर्धारित भूमि मूल्य जो वर्ष 2010-11 के लिए निर्धारित था, का पूर्ण ब्योरा दिया गया, जिसमें संबंधित प्रश्नगत भूमि का मूल्य 5,96,566.00 रू0 प्रति एकड़ दर्शाया गया है जबकि संचालन पदाधिकारी के द्वारा बार-बार उल्लेख किया गया है कि प्रबंध निदेशक, आयडा द्वारा उपलब्ध कराये गये भूमि मूल्य संबंधित आंकड़े जो जिला प्रशासन, सरायकेला-खरसावाँ द्वारा निर्धारित है, जो प्रति एकड़ 1,44,95,000/- (एक करोड़ चैवालीस लाख पंचानवे हजार) वर्ष 2011-12 में निर्धारित भूमि मूल्य के रूप में संसूचित है। स्पष्ट है कि प्रश्नगत भूमि का मूल्य जिला प्रशासन सरायकेला-खरसावाँ द्वारा वर्ष 2010-11 के लिए निर्धारित नहीं है एवं एक वर्ष की अवधि समाप्त होने पर स्थिर किया गया है। इससे स्पष्ट प्रमाणित होता है कि वर्ष 2010-11 के लिए आयडा द्वारा निर्धारित भूमि मूल्य प्रबंध निदेशक, आयडा के द्वारा समर्पित कर मिसगाईड किया गया है। उक्त भूमि मूल्य पर प्रश्नगत भूमि का आवंटन से कोई राजस्व का घाटा नहीं हुआ जैसा कि जाँच पदाधिकारी अपने निष्कर्ष में उल्लेखित किये हैं और मेरे द्वारा उठाये गये वैध भूमि मूल्य की सूची का नजरअंदाज किया गया।

(ख) उद्योग सचिव के पत्रांक-112/सा०को०, दिनांक 30 मार्च, 2011 एवं अपील वाद सं०-19/10 द्वारा संसूचित आदेश से स्पष्ट है कि योग्य एवं पात्र को ही खुली बीड में भाग लेने का अवसर देना है, न कि किसी भी इच्छुक को। इनके द्वारा प्रबंध निदेशक के रूप में प्रश्नगत भू-खण्ड के लिए दो इच्छुक प्रतिष्ठान में से एक संथाल मल्टीकास्ट प्रा०लि० की योग्यता पी०सी०सी० एवं एल०ए०सी० की बैठक में पारित नहीं रहने के कारण उनका प्रोजेक्ट इवेल्यूवेशन सही नहीं पाया गया एवं उपस्थापित कानूनी सलाह के अनुसार उनको आवंटित भूमि की उपयोग नहीं कर प्रत्यर्पण करने की स्थिति में उन्हें पुनः जमीन आवंटन आयडा के हित में नहीं होने के आधार पर उक्त प्रतिष्ठान को अयोग्य एवं पात्रतारहित पाया गया। फलस्वरूप
मेसर्स शार्दुल ऑटो वर्क्स प्रा० लि० को आयडा द्वारा निर्धारित दर पर भूमि आवंटित किया गया।

(ग) प्रश्नगत भूमि का आवंटन इनके द्वारा संचिका में की गई है और इस संबंध में किसी प्रकार का दखल कब्जा नहीं कराया गया है। प्रश्नगत भूमि यथावत् है, जिस पर किसी प्रकार की विधिसम्मत कार्यवाही की जा सकती है, यदि इनका इरादा एकपक्षीय होता तो इनके द्वारा आवंटन वाले को दखल कब्जा करा दिया गया होता, परन्तु मेरे द्वारा ऐसी कोई कार्यवाही नहीं की गई।

(घ) आरोप के विवरण सं0-2 के संबंध में कहना है कि जो 50 एकड़ की बात कही गई है उसका न तो ओपेन बीड में ऑक्सन हुआ है और न ही उस जमीन के आवंटन की प्रक्रिया प्रारम्भ की गई है। इस प्रकार से ये आरोप का बिन्दु नहीं हो सकता है।

(ङ) आरोप के विवरण सं0-3 में किसी प्रकार का आरोप नहीं है, क्योंकि इसमें किसी स्पष्ट दृष्टांत का उल्लेख नहीं किया गया है और सिर्फ एक गोल-मटोल मनगढ़ंत आरोप बना दिया गया है। पूर्व में स्पष्ट किया गया है कि प्रश्नगत भूमि जिस प्रतिष्ठान को आवंटन किया गया है। उसका पी०सी०सी० एवं एल०सी०सी० की बैठक में योग्यता परखने के पश्चात् 5 एकड़ भूमि की आवश्यकता है, ये पया गया है। अतः आवश्यकता से अधिक भूमि का अधिग्रहण करने का कोई मामला अथवा प्रश्न नहीं उठता है।

(च) आरोप का विवरण सं०-4 पूर्णतः मनगढ़ंत है, क्योंकि इस मामले में मात्र दो आवेदक थे, जिसमें एक आवेदक की पात्रता एवं योग्यता ऑक्सन में भाग लेने लायक नहीं थी और इस भूमि के लिए कोई आवेदक 50 लाख रू० मात्र न्यूनतम गारंटी देनेवाले नहीं थे। अतः परिस्थिति के अनुसार एक ही पात्रता एवं योग्यता रखने वाले प्रतिष्ठान को भूमि का आवंटन वर्ष 2010-11 के लिए निर्धारित जमीन का मूल्य की राशि थी, उक्त आधार पर किया गया।

(छ) इस संबंध में जाँच पदाधिकारी के द्वारा बिना किसी कारण प्रतिपन्न करते हुए सीधे निर्णय ले लिया गया कि सारे आरोप प्रमाणित है। उन्हें दिनांक 28 सितम्बर, 2012 के दैनिक हिन्दू में प्रकाशित इस खबर की प्रति उपलब्ध करायी गयी थी कि परिस्थितिवश केवल ऑक्सन के अलावे अन्य तरीके से भी राजस्व की हानि नहीं करते हुए रिसोर्सेस का आवंटन किया जा सकता है।

अपने जवाब में श्री महान्ती ने यह भी उल्लेख किया है कि विषयगत मामले में इस संबंध में आयडा से कुछ और अन्य कागजात प्राप्त करने के पश्चात् ये अंतिम रूप से जवाब समर्पित करेंगे।

आरोपी पदाधिकारी के अंतरिम प्रतिवेदन की समीक्षा की गई। आरोपी पदाधिकारी के माँग पर अंतिम जवाब देने हेतु विभागीय पत्रांक-9164, दिनांक 11 सितम्बर, 2014 द्वारा अंतिम अवसर देते हुए दिनांक 29 सितम्बर, 2014 तक जवाब समर्पित करने का समय दिया गया। पुनः दिनांक

20 अक्टूबर, 2014 को श्री महंथी का पत्र प्राप्त हुआ कि उन्हें दिनांक 20 नवम्बर, 2014 तक का समय दिया जाय। परन्तु इस तिथि में भी श्री महंथी का जवाब अप्राप्त रहने के कारण उनके द्वारा पूर्व में उपलब्ध कराये गये द्वितीय कारण पृच्छा में दिये गये तथ्यों की समीक्षा की गई। समीक्षा में पाया गया कि श्री महान्ती ने अपने कार्यकाल में सरकार के हित के प्रतिकूल कार्य करते हुए भूमि आवंटन में अनियमितता कर राजस्व की क्षति करने का मामला प्रमाणित है। यदि श्री महान्ती सरकार के हित में कार्य करते तो लगभग एक करोड़ बीस लाख रू० की अतिरिक्त राशि भू-आवंटन में राजस्व के रूप में

प्राप्त होती, किन्तु श्री महान्ती इसमें चूके। इनके द्वारा समर्पित द्वितीय कारण-पृच्छा में कोई नया तथ्य प्रस्तुत नहीं किया गया है। समीक्षोपरान्त, श्री महंथी के द्वितीय कारण पृच्छा को अस्वीकृत करते हुए पेंशन नियमावली के नियम-43(ख) के तहत् इनके पेंशन से पूर्ण अवधि के लिए 40% प्रतिशत राशि की कटौती करने का निर्णय लिया गया।

तद्नुसार, विभागीय पत्रांक-3338, दिनांक 13 अप्रैल, 2015 द्वारा झारखण्ड लोक सेवा आयोग, राँची से उक्त दण्ड अधिरोपित करने के प्रस्ताव पर सहमति संसूचित करने का अनुरोध किया गया। झारखण्ड लोक सेवा आयोग, राँची के पत्रांक-1512, दिनांक 19 जून, 2015 द्वारा श्री महंथी की सेवा पुस्तिका एवं अन्य अभिलेखों की छायाप्रति की माँग की गई, जिसके आलोक में विभागीय पत्रांक-6723, दिनांक 28 जुलाई, 2015 द्वारा झारखण्ड लोक सेवा आयोग, राँची को वांछित अभिलेख उपलब्ध कराया गया। झारखण्ड लोक सेवा आयोग, राँची के पत्रांक-214, दिनांक 21जनवरी, 2016 द्वारा उक्त प्रस्ताव पर सहमति प्रदान की गयी।

अतः श्री रविन्द्र नाथ महंथी, तत्कालीन प्रबंध निदेशक, आयडा, आदित्यपुर, जमशेदपुर के विरूद्ध पेंशन नियमावली के नियम-43(ख) के तहत् इनके पेंशन से पूर्ण अवधि के लिए 40% (चालीस प्रतिशत) राशि की कटौती का दण्ड अधिरोपित किया जाता है ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

दिलीप तिर्की,

सरकार के उप सचिव ।

झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
झारखण्ड गजट (असाधारण) 481—50 ।